15341 13148/--

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

253697

विक्रेता पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	जिला	: [illegible]
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	[illegible]	: [illegible]
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.322 हेक्टेयर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 251695

-2-

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	शामिलात/कूप/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू० 7,15,200/-
11.	मालियत	:	रू० 5,85,500/-
12.	स्टाम्प	:	रू० 71,600/-

चौहद्दी

खसरा नं० 771

पूरब	: खसरा संख्या-770
पश्चिम	: खसरा संख्या-772
उत्तर	: खसरा संख्या-762
दक्षिण	: खसरा संख्या-769

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 209573

खसरा नं0 746

पूरब	: खसरा संख्या-748
पश्चिम	: चकरोड
उत्तर	: खसरा संख्या-745
दक्षिण	: खसरा संख्या-747

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीराम पुत्र स्व0 [illegible] निवासी ग्राम [illegible], [illegible] परगना, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	[illegible] पुत्र [illegible] निवासी–[illegible], [illegible], [illegible], जिला–[illegible], [illegible] व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 117279

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीराम पुत्र स्व0 सुखई निवासी–ग्राम खिलखिलापुरवा, मजरा– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् मुन्नी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट–गवगांव, जिला–फतेहपुर, आदि जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता [illegible] खाता खतौनी क्रम संख्या-372 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या-[illegible] रकबा 0.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 309770

191 हेक्टेअर का सम्पूर्ण भाग तथा खाता खतौनी क्रम संख्या-409 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या-746 रकबा 0.262 हेक्टेअर में से 0.131 हेक्टेअर, यानि कि दो मिला जिराकर कि कुल विक्रीत रकबा 0.322 हेक्टेअर है, जो कि ग्राम- अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है, जिस पर विक्रेता काबिज व दाखिल है तथा सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 372 व 409 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 309771

अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी और जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या

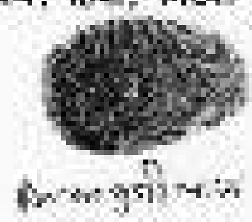

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 109574

अनुमति इत्यादि नहीं लिया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रु0 7,15,806/- (रुपया सात लाख पन्द्रह हजार आठ सौ छः मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को हस्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 089354

विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहां स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बनाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को मकबूजी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 089350

सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 089351

A.T.O.T.A. TRY.LKO

उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार-याँ स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो [redacted] कोई

[redacted]

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 059318

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व भी अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.322 हेक्टेयर की मालियत रु0 5,63,500/- होता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 089319

है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 71,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रित भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 089320

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 7,15,806/- (सात लाख पन्द्रह हजार आठ सौ छः मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या- 14 पर नीले स्याही पेन से लिखी गई है।

लखनऊ

दिनांक: 29.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राजेश त्रिवेदी)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अख्तर हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No 17109 Year 2008 Book No. I

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

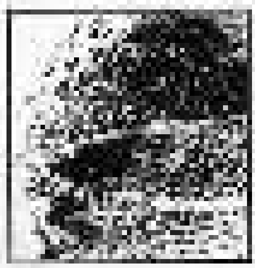

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–771 रकबा 0.191 हेक्टेअर का सम्पूर्ण भाग तथा खाता खतौनी क्रम संख्या–409 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या–746 रकबा 0.262 हेक्टेअर में से 0.131 हेक्टेअर, यानि कि दो किता जिसका कि कुल विक्रीत रकबा 0.322 हेक्टेअर है, जो कि ग्राम- अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है.।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता श्रीराम ने रु0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या – [illegible] दिनांकित 29.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा इस्माइलगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

2. विक्रेता श्रीराम ने रु0 2,15,806/- (रुपया दो लाख पन्द्रह हजार आठ सौ छः मात्र) द्वारा चेक संख्या – [illegible] दिनांकित 29.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा इस्माइलगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

विक्रय पत्र

7,15,500.00	804,080.00	5,800.00	20	5,820.00	1,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

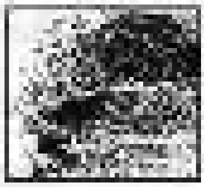

[illegible]

दिनांक 29/12/2008

[illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय)

29/12/2008

[illegible]

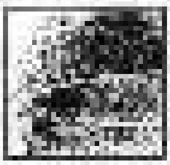

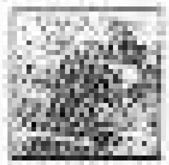

[illegible]

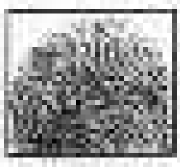

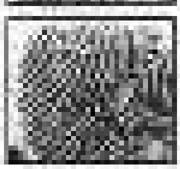

[illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय)

29/12/2008

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

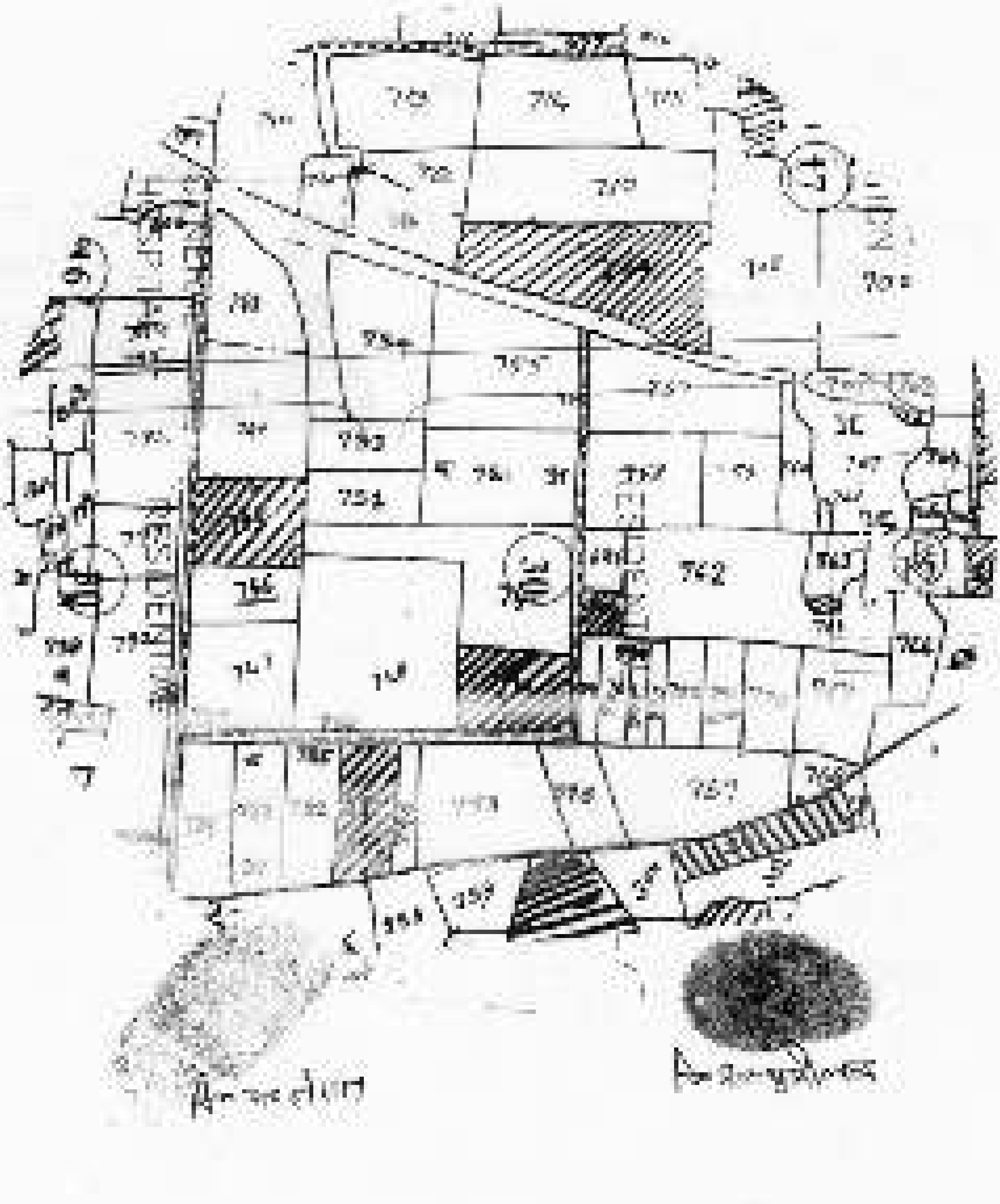

[illegible]

Registration No. 12145 Year : 2006 Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता ....श्री राम [illegible] ....
.... [illegible] ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

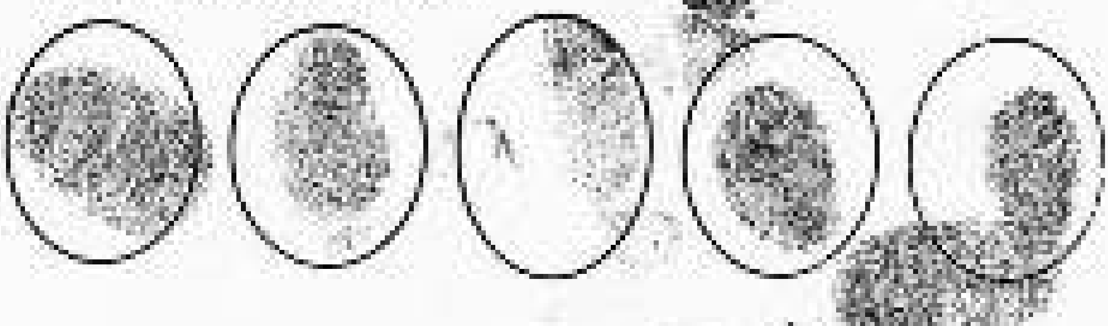

[illegible]
क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- ....श्री [illegible]
.... [illegible] पतेहपुर।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

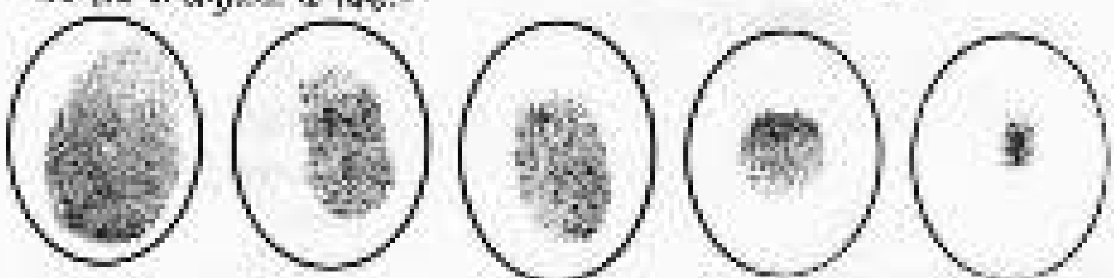

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

[illegible]
[illegible]

आज दिनांक 29/12/2006 को
बही नं 1 जिल्द नं 6290
पृष्ठ सं. 109 से 142 पर क्रमांक 12148
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी. सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
29/12/2006